# न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.............................से..............................................................................

जिला–खगड़िया..................................,सा0..................................................................,सन्.................................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः– 105/2017

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3. |
|---|---|---|
| 26.09.2017 | बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत परबत्ता थाना में दर्ज कांड संख्या–261/2017 दिनांक 03.08.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3058/हि0शा0 दिनांक 19.09.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, परबत्ता का प्रतिवेदनं के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल–375 एम0एल0 का 302 (तीन सौ दो) एवं 750 एम0एल0 का 45 (पैतालिस) बोतल विदेशी शराब की कुल मात्रा–302 बोतल एवं 45 (पैतालिस) बोतल विदेशी शराब से 375 एम0एल0 का 04 (चार) बोतल एवं 750एम0एल0 का 01 (एक) बोतल विदेशी शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जॉच हेतु उत्पाद रसायन निरीक्षक, कुम्हरार बिहार, पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष–375 एम0एल0 का 298 (दो सौ अनठानवे) एवं 750 एम0एल0 का 44 (चौवालिस) बोतल विदेशी शराब परबत्ता थाने के मालखाना में रखा गया है।<br><br>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।<br><br>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परबत्ता थाने के मालखाना में रखी गई कुल–375 एम0एल0 का 298 (दो सौ अनठानवे) एवं 750 एम0एल0 का 44 (चौवालिस) बोतल विदेशी शराब कुल–144.75 लीटर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रकियों का पालन करते हुए परबत्ता थाना कांड संख्या–261/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल–375 एम0एल0 का 298 (दो सौ अनठानवे) एवं 750 एम0एल0 का 44 (चौवालिस) बोतल कुल–144.75 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।<br><br>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>समाहर्त्ता, खगड़िया।      समाहर्त्ता, खगड़िया। | |

| | | |
|---|---|---|
| ... क्रम ... तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित |
| | 02. | |

डी0 बी0 नं0 358 /विधि, दिनांक 3-10-17

प्रतिलिपिः—अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

3/10/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

3/10/17